इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020—फाल्गुन 9, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह/एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2020-21

ग्वालियर, दिनांक 28... फरवरी 2020

क्रमांक सात-ठेका/2020-21/.322..... ग्वालियर :- सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2020-21 के लिये, अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये, राज्य की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह/एकल समूहों के निष्पादन बाबत मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 की कण्डिका क्रमांक 14 (क) 1 की अंतिम पंक्तियों में वर्णित निम्नांकित अंश को विलोपित किया जाता है :-

"लेकिन ऐसी स्थिति में दुकान/एकल समूह के लिए लॉटरी आवेदन पत्र तभी मान्य किया जायेगा, जब उसकी कीमत संबंधित दुकान/एकल समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या के मान से लॉटरी आवेदन पत्र की निर्धारित कीमत से कम न हो।"

इसी प्रकार कण्डिका क्रमांक- 68 निष्पादन कार्यक्रम "04 बडे महानगरों एवं 12 नगर निगम वाले जिलों हेतु ई-टेण्डर (क्लॉज बिड एवं ऑक्शन) का कार्यक्रम एवं तिथियां (प्रथम राउण्ड)" में संशोधन उपरान्त निष्पादन कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा -

04 बड़े महानगरों एवं 12 नगर निगम वाले जिलों हेतु ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) का कार्यक्रम एवं तिथियां:- (प्रथम राउण्ड)

1	ई-टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई-टेण्डर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 05 मार्च, 2020 को प्रातः 10:00 बजे से 12 मार्च 2020 अपरान्ह 01:00 बजे तक।
2	ई-टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 12 मार्च, 2020 अपरान्ह 02:00 बजे से।
3	ई-टेण्डर (ऑक्शन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय	दिनांक 13 मार्च, 2020 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक (तत्पश्चात 15 मिनिट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनिट के लिये समयावधि में वृद्धि)
4	जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	ऑक्शन पूर्ण होने पर।

टीप:- ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) तिथियों में एवं प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश को रहेगा।

राजेश बहुगुणा, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.